बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 427937 पटना, दिनांक:- 24/03/2021

ग्रा0वि0-5/प्र0आ0यो0(गृह स्थल)-102-31/2017

प्रेषक,

(विवेक कुमार सिंह),
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

(अरविन्द कुमार चौधरी)
प्रधान सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त,
बिहार।

विषय:- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में शामिल वास स्थल विहीन लाभुकों को वास-भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राजस्व एवं भूमि सुधार तिभाग, बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सुयोग्य श्रेणी के महादलित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I एवं अनुसूची-II) के वास-भूमि रहित परिवारों को वास-भूमि उपलब्ध कराने हेतु 'अभियान बसेरा' कार्यक्रम संचालित है। इसके तहत वास भूमि रहित सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को 5 (पॉच) डिसमिल सरकारी भूमि बंदोवस्त करने का प्रावधान है। सरकारी भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में निर्धारित दर पर रैयती भूमि क्रय कर वास-भूमि उपलब्ध कराया जाना है। इसके लिए बिहार गृह स्थल योजना के तहत रैयती भूमि क्रय नीति लागू है । इसके तहत इच्छुक भू-धारियों से भूमि/भू-खण्ड एम0भी0आर0(MVR) दर पर प्राप्त कर वास-भूमि विहीन परिवारों को वास-भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान है। रैयती भूमि क्रय के लिए जिला समाहर्ता को उनकी अधियाचना के आलोक में राशि विभाग द्वारा आवंटित की जाती है। अभियान बसेरा कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्रवाई किये जाने का निदेश संसूचित है:-

(i) वैसे वास रहित सक्षम श्रेणी के परिवारों, जिन्हें **Bihar Privileged Persons Homestead Tenancy Act, 1947** के अन्तर्गत जमीन पर पर्चा देय हो, सर्वप्रथम उन परिवारों को इस अभियान के अन्तर्गत पर्चा का वितरण किया जायेगा।

(ii) वैसे परिवार जिन्हें उक्त अधिनियम के अन्तर्गत वास-भूमि का पर्चा देय नहीं हो, उन्हें उपलब्ध सरकारी भूमि यथा- गैर मजरूआ मालिक एवं गैर मजरूआ आम भूमि तथा भू-हदबंदी से अतिरेक अर्जित भूमि की बन्दोबस्ती एतद् विषयक विभागीय परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

(iii) यदि उपर्युक्त दोनों माध्यमों से सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को वास-भूमि उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं हो तो, वैसी स्थिति में निर्धारित दर पर रैयती जमीन क्रय कर वैसे परिवारों को आवासित किया जाना है। अर्थात सरकार की नीति के तहत सर्वप्रथम सरकारी भूमि की बन्दोबस्ती कर सुयोग्य श्रेणी के वासरहित परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराया जाना है तथा यदि सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है, तो वैसी स्थिति में रैयती जमीन निर्धारित दर पर क्रय कर आवासन हेतु उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जायेगी।

इस विषय पर राज्यान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सुयोग्य श्रेणी के वास-भूमि रहित परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में दिनांक-28.02.2020 को एक बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग तथा सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग भी शामिल थे। बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णयानुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संचालित अभियान बसेरा कार्यक्रम के तहत वास-भूमि विहीन परिवारों को वास-भूमि आवंटित करने हेतु ग्रामीण विकास विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा ऐसे परिवारों को सर्वेक्षित एवं चिन्हित करते हुए इसकी सूची संबंधित जिला अपर समाहर्ता को उपलब्ध कराया जाना है।

उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। योजना की मार्गदर्शिका की कंडिका 5.2.2 के प्रावधानानुसार भूमिहीन लाभार्थी को सरकारी भूमि अथवा सार्वजनिक भूमि सहित किसी अन्य प्रकार की भूमि उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य सरकार का है। इस क्रम में, वित्तीय वर्ष 2016-17 से ही राज्य सरकार द्वारा विहित प्रावधानों के आलोक में वास स्थल विहीन परिवारों को पूरी मुस्तैदी से वास स्थल उपलब्ध कराने हेतु दिशा-निर्देश दिए जाते रहे हैं, किंतु इस दिशा में तत्परता पूर्वक कार्रवाई नहीं होने के कारण कतिपय लाभुकों का नाम प्रतीक्षा सूची में रहने के बावजूद भी वित्तीय वर्ष 2016-17 से ही वास-भूमि के अभाव में आवास निर्माण हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची से छूटे हुए सुयोग्य श्रेणी के परिवारों तथा इनमें से जल-जीवन-हरियाली कार्यक्रम के तहत विस्थापित होने वाले परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर आवास का लाभ देने हेतु 'मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना' प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत जिन लाभुकों के पास वास-भूमि उपलब्ध नहीं है, उन्हें आवास लाभ देने के पूर्व वास-भूमि की उपलब्धता आवश्यक है।

उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के सुयोग्य परिवारों हेतु वास-भूमि क्रय करने के लिए राज्य प्रायोजित **"मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना"** वित्तीय वर्ष 2018-19 से लागू की गयी है। इस योजना अन्तर्गत योग्य लाभुकों को वास-भूमि क्रय करने हेतु 60,000(साठ हजार) रूपये की सहायता राशि उपलब्ध करायी जाती है, ताकि लाभुक वास-भूमि क्रय कर सकें और प्रतीक्षा-सूची में क्रम आने पर बिना

विलम्ब के उन्हें आवास का लाभ दिया जा सके। इससे संबंधित संकल्प सं0-386652 दिनांक-30.08.2018 (प्रति संलग्न) एवं दिशा-निर्देश ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-406013 दिनांक-11.09.2019 (प्रति संलग्न) से निर्गत किया गया है। इसमें कतिपय संशोधन संकल्प संख्या-265932 दिनांक-10.06.2020 (प्रति संलग्न) द्वारा किए गए हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 के लक्ष्य के विरूद्ध राज्य में 36,072 परिवार वैसे हैं, जिन्हें वास-भूमि की अनुपलब्धता के कारण आवास की स्वीकृति नहीं दी जा सकी है (जिलावार विवरण संलग्न)। इससे इन परिवारों के समक्ष आवास की समस्या यथावत् है।

उपर्युक्त के आलोक में अनुरोध है कि "अभियान बसेरा" कार्यक्रम के तहत वास-भूमि विहीन सुयोग्य श्रेणी के परिवारों/व्यक्तियों की सर्वेक्षित सूची तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत प्रतीक्षा सूची में शामिल वास-भूमि विहीन सुयोग्य श्रेणी के परिवारों/व्यक्तियों को वास-भूमि उपलब्ध कराने हेतु अपर समाहर्ता स्तर पर संधारित सूची के अनुसार जिला एवं प्रखण्ड/अंचल स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संचालित वास-भूमि उपलब्ध कराये जाने संबंधी योजनाओं की समीक्षा करते हुए सर्वेक्षित वास-भूमि विहीन परिवारों/व्यक्तियों को अविलंब वास-भूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाए ।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

(अरविन्द कुमार चौधरी)
प्रधान सचिव

18/3/21
(विवेक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक:- 427937 पटना, दिनांक:- 24/03/2021

प्रतिलिपि:- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि पत्र में वर्णित तथ्यों को दृष्टिपथ रखते हुए अपने स्तर से भी इन योजनाओं के प्रगति की पाक्षिक समीक्षा करने की कृपा की जाय, ताकि वास-भूमि परिवार के आवास की समस्या का समाधान शीघ्रातिशीघ्र हो सके।

प्रधान सचिव,

18/3/21
अपर मुख्य सचिव,

बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

संकल्प

विषयः- **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में शामिल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के वास स्थल विहीन परिवारों को वास भूमि क्रय करने के लिए "मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना" के कार्यान्वयन की स्वीकृति के संबंध में ।**

वित्तीय वर्ष 2016-17 से कार्यान्वित कराई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत सभी बेघर परिवारों तथा कच्चे और जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास के निर्माण हेतु सहायता राशि उपलब्ध करायी जाती है । योजनान्तर्गत आवास निर्माण हेतु सहायता राशि प्राप्त करने के लिए लाभुकों के पास आवश्यकता के अनुरूप वास भूमि उपलब्ध रहना अनिवार्य है । मार्गदर्शिका के अनुसार आवास निर्माण के लिए स्वच्छ रसोई घर सहित 25 वर्ग मीटर का क्षेत्र निर्धारित है ।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा जारी फ्रेमवर्क की कंडिका-5.2.2 में भूमिहीन लाभार्थियों के मामले में लाभार्थी को सरकारी भूमि अथवा सार्वजनिक भूमि (पंचायती सामान्य भूमि, सामुदायिक भूमि अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकरणों से संबंधित भूमि) सहित किसी अन्य प्रकार की भूमि से वास योग्य भूमि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है तथा योजनान्तर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची को अंतिम रूप दिये जाने के साथ ही भूमिहीन लाभार्थी को भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था पूरी करनी है ।

3. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के प्रतीक्षा सूची में शामिल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के वास स्थल विहीन परिवार आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण अपने संसाधनों से भूमि क्रय नहीं कर पाते हैं और लाभार्थी प्रतीक्षा सूची में नाम आने के बावजूद भी वास भूमि के अभाव में आवास का लाभ पाने से वंचित हैं । ऐसे वास स्थल विहीन परिवारों को वास भूमि क्रय हेतु **"मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना"** का कार्यान्वयन करने का निर्णय लिया गया है ।

4. योजनान्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में शामिल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के वास स्थल विहीन परिवारों को वास भूमि क्रय करने हेतु प्रति लाभार्थी भूमि क्रय के लिए 60,000 (साठ हजार) रूपये सहायता राशि निम्न प्रक्रिया के तहत उपलब्ध कराई जायेगी :-

i. लाभुक द्वारा क्रय किये जाने वाली वास भूमि का चयन जिस ग्राम पंचायत के प्रतीक्षा सूची में उनका नाम है उसी ग्राम पंचायत के अंतर्गत स्वयं किया जायेगा ।

ii. वास भूमि क्रय हेतु लाभुक द्वारा विहित प्रपत्र में सहायता राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन एवं वास भूमि नहीं होने के संबंध में शपथ पत्र दिया जायेगा । यह आवेदन आधार नंबर के साथ एवं आधार Seeded बैंक खाता विवरण सहित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को समर्पित कर उसकी प्राप्ति रसीद ली जायेगी ।

iii. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा अंचलाधिकारी से यह प्रमाण-पत्र लिया जायेगा कि लाभुक को पूर्व में सरकार द्वारा किसी भी योजना के तहत वास भूमि उपलब्ध नहीं करायी गयी है तथा लाभार्थी के पंचायत अंतर्गत कोई वास योग्य सरकारी भूमि वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है । अंचलाधिकारी द्वारा यह प्रमाण-पत्र 15 दिनों के अंदर प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा ।

iv. लाभुक से विहित प्रपत्र में प्राप्त आवेदन एवं अचंलाधिकारी के प्रमाण-पत्र के आधार पर आवश्यक सत्यापन के पश्चात प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा वास भूमि क्रय हेतु 60,000 (साठ हजार) रूपये स्वीकृत किया जाएगा तथा स्वीकृत राशि प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा लाभार्थी के आधार Seeded बैंक खाता में उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

v. लाभार्थी द्वारा 3 (तीन) माह के अंदर वास भूमि का क्रय कर निबंधित भूमि के दस्तावेज की मूल प्रति प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी । लाभार्थी से दस्तावेज प्राप्ति के पश्चात प्रतीक्षा सूची का क्रम आने पर 15 दिनों के अंदर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत लाभार्थी को आवास की स्वीकृति एवं प्रथम किश्त की विमुक्ति की जायेगी ।

vi. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा निबंधित दस्तावेज की छाया प्रति कराकर उसे सत्यापन करते हुए अभिलेख के रूप में संधारित किया जायेगा तथा मूल दस्तावेज लाभुक को वापस कर दिया जायेगा ।

vii. लाभुक द्वारा उपर्युक्त कंडिका-v में निहित अवधि में वास भूमि क्रय नहीं करने पर दी गई राशि की वसूली हेतु वैधानिक कार्रवाई की जायेगी ।

5. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समय-समय पर समीक्षोपरान्त गुण-दोष के आधार पर योजना में आवश्यक प्रक्रियात्मक संशोधन एवं भुगतान की प्रक्रिया का निर्धारण करने के लिए विभाग स्वयं सक्षम होगा ।

6. विभाग द्वारा समीक्षोपरांत आवश्यकता को देखते हुए "मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना" को आगामी वर्षों में भी यथावत जारी रखा जा सकेगा ।

आदेश :- **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय ।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

30/8/2018

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 38652 पटना, बिहार 30/08/2018

ग्रा0वि-5/प्र0आ0यो0 (गृह स्थल)-102-28/2017

प्रतिलिपि - ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. सहित प्रेषित।

अनुरोध है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर संकल्प की 500 प्रतियां उपलब्ध करा दी जाय ।

30/8/2018
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 38652 पटना, बिहार 30/08/18

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

30/8/2018
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 38652 पटना, बिहार 30/08/18

प्रतिलिपि - मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

30/8/2018
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 38652 पटना, बिहार 30/08/18

प्रतिलिपि - मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

30/8/2018
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 38652 पटना, बिहार 30/08/18

प्रतिलिपि - श्री सुनील कुमार, आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ प्रेषित ।

30/8/2018
सरकार के सचिव

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पटना, दिनांक:- 11/01/19

पत्रांक:- 406013

ग्रा0वि0-5/प्र0आ0यो0-(गृह स्थल)102-28/2017

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय:- 'मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना' के कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची में शामिल वास स्थल भूमि विहीन परिवारों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के वैसे परिवार जिन्हें सरकार से भूमि उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है, तथा जो अपने संसाधनों से वास भूमि क्रय नहीं कर सकते हैं, को वास भूमि क्रय करने हेतु सहायता प्रदान करने के लिए 'मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना' लागू की गई है । इसके अधीन पात्र लाभार्थियों को वास भूमि क्रय करने हेतु रूपये 60,000/- (साठ हजार) प्रति परिवार सहायता राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है । इसके कार्यान्वयन हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जाएगी ।

1. योजनान्तर्गत पात्र लाभुक की सूची का निर्माण करना :-

(i) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत अंतिम रूप से निर्मित प्रतीक्षा सूची में शामिल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के वास स्थल विहीन परिवारों की सूची तैयार की जायेगी ।

(ii) सूची में शामिल परिवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त किया जायेगा । लाभार्थियों द्वारा आवेदन पत्र सभी वांछित अनुलग्नकों सहित सीधे प्रखंड कार्यालय अथवा ग्रामीण आवास सहायक को दिया जायेगा, जिसकी पावती विधिवत आवेदक को उपलब्ध कराई जाएगी। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न रहेंगे:-

(क) आवेदक के पास वास भूमि का स्वामित्व नहीं रहने संबंधी विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में शपथ-पत्र मूल रूप में ।

(ख) जाति प्रमाण-पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति ।

(ग) आधार कार्ड की प्रति इस सहमति (concurrence) के साथ कि आधार की सूचनाओं का उपयोग इस योजना के अधीन किया जा सकेगा ।

(घ) आधार Seeded बैंक खाता के पासबुक की स्व अभिप्रमाणित प्रति ।

लाभुक से प्राप्त किये जाने वाले बैंक खाता में यह ध्यान रखा जायेगा कि वह जन-धन खाता या लाभुक के बैंक ऋण से सम्बन्धित खाता नहीं हो,

2. अंचलाधिकारी से भूमि संबंधित जॉच प्रतिवेदन :-

प्रखंड विकास पदाधिकारी सूची के लाभुकों के संबंध में अंचलाधिकारी से निम्न प्रमाण-पत्र की मांग करेंगें :-

(i) लाभुक को पूर्व में सरकार द्वारा किसी भी योजना के तहत वास भूमि उपलब्ध नहीं करायी गयी है ।

(ii) लाभार्थी के पंचायत के अंतर्गत कोई वास योग्य सरकारी भूमि वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है ।

प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्राप्त सूची के लाभुकों के संबंध में अंचलाधिकारी द्वारा अधिकतम 15 दिनों के अंदर उपर्युक्त वर्णित प्रमाण-पत्र उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

अंचलाधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में प्रतिवेदन देने हेतु स्मारित किया जायेगा तथा उसकी प्रति उप विकास आयुक्त को दी जायेगी । इस निर्धारित अवधि में प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उप विकास आयुक्त के माध्यम से जिला पदाधिकारी को अवगत कराया जायेगा ।

3. लाभार्थियों की स्वीकृति :-

(i) अंचलाधिकारी से प्रमाण-पत्र प्राप्ति के पश्चात प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने स्तर से संतुष्ट हो लेगें कि विभाग द्वारा निर्धारित सभी मापदंडो व प्रक्रिया का पालन करते हुए योग्य लाभार्थियों को चिन्हित किया गया है । तद्नुसार पंजी एवं अभिलेख संधारित करते हुए योजना स्वीकृति 15 दिनों के अंदर प्रदान करेगें ।

(ii) स्वीकृति पत्र के आधार पर लेखा सहायक (ग्रामीण आवास)/ प्रखंड लेखापाल अधिकतम दो दिनों के अंदर F.T.O तैयार कर प्रखंड विकास पदाधिकारी के हस्ताक्षर (चेकर की भूमिका) हेतु प्रस्तुत करेंगें ।

4. लाभुक द्वारा वास भूमि का निबंधन कराकर अभिलेख प्रस्तुत करना :-

लाभुक को राशि अंतरण के तीन माह के अंदर जमीन का निबंधन कराकर निबंधन दस्तावेज की प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी निबंधित दस्तावेज की तीन प्रतियों में छायाप्रति कराकर एवं सत्यापित कर, एक प्रति अपने अभिलेख में संधारित करेगें तथा लाभुक को स्वीकृति पत्र निर्गत कर सूची के साथ दूसरी प्रति अंचलाधिकारी एवं तीसरी प्रति अनुमंडल कार्यालय को प्रेषित करेंगे ताकि भविष्य में ऐसे लाभार्थी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की भूमिहीन परिवारों हेतु भूमि बंदोवस्ती योजना का पुन: लाभ प्राप्त न कर सकें । मूल निबंधन दस्तावेज लाभुक को वापस कर देगें ।

5. अभिलेखों का संधारण:-

(i) योजना कार्यान्वयन में पारदर्शिता एवं सुचारू रूप से संचालन के निमित्त एक अभिलेख प्रारूप संलग्न किया जा रहा है ।

D:\SECTION-5 BACKUP\D Drive\Mukesh\IAY 2385 a.doc

Ut MO 6013
11.01.19

(ii) स्वीकृत्योदश एवं आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय पत्रांक- 391390 दिनांक- 28.09.2018 से पूर्व में प्रेषित है ।

6. वास भूमि क्रय के पश्चात प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत लाभुक को लाभ दिया जाना:-

(i) लाभुक से क्रय की गई वास भूमि के निबंधित विपत्र पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर आवश्यक सत्यापन करते हुए लाभुक को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत योजना लाभ की स्वीकृति प्रतीक्षा सूची के क्रम में प्रदान की जायेगी ।

(ii) इस स्वीकृति के एक सप्ताह के अंदर प्रथम किश्त की राशि लाभार्थी के बैंक खाता में अंतरित कर दी जायेगी ।

7. 'मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजनान्तर्गत सहायता राशि प्राप्त करने के बाद भूमि क्रय नहीं करने वाले पर कार्रवाई :-

(i) प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा लाभुक को योजनान्तर्गत वास भूमि क्रय हेतु सहायता राशि लाभुक के बैंक खाता में FTO द्वारा अंतरण के पश्चात लाभुक द्वारा भूमि क्रय की प्रगति के संबंध में ग्रामीण आवास सहायक से मासिक प्रतिवेदन प्राप्त किया जायेगा ।

(i) लाभुक द्वारा "मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता" योजनान्तर्गत सहायता राशि प्राप्त करने के तीन माह के अंदर वास भूमि क्रय कर निबंधन दस्तावेज की प्रति उपलब्ध नहीं कराने वाले लाभुकों से राशि की वसूली हेतु वैधानिक कार्रवाई तुरंत आरंभ कर दी जायेगी । प्रथमतः लाभुक को राशि की वापसी हेतु नोटिस तामिला कराया जाएगा ।

(ii) नोटिस तामिला होने के एक माह बाद भी राशि नहीं लौटाये जाने पर नीलाम पत्र वाद दायर किया जायेगा ।

(iii) निलाम पत्रवाद को अधिकतम तीन माह में निष्पादन करना अनिवार्य होगा । इसका अनुश्रवण जिला पदाधिकारी व उप विकास आयुक्त द्वारा स्वयं किया जायेगा ।

अनुरोध है कि उपर्युक्त के आलोक में योजना का कार्यान्वयन कराया जाय ।

विश्वासभाजन

10/11/19

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 40603 पटना, दिनांक 11/01/19

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/11/19

सरकार के सचिव

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड-.................. जिला-.................... का कार्यालय

अभिलेख सं0-

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्राथमिकता सूची में सम्मिलित वास स्थल विहिन परिवारों को 'मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना' अंतर्गत सहायता राशि उपलब्ध कराने से संबंधित अभिलेख

तिथि	विवरण
दि0....................	श्री .... ग्रामीण आवास सहायक, ग्राम पंचायत- .... के द्वारा श्री .... ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्राथमिकता सूची में सम्मिलित वास स्थल विहिन परिवारों को 'मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना' अंतर्गत सहायता राशि उपलब्ध कराने हेतु श्री ....पिता/पति-........................ग्राम-................टोला-............................ग्राम पंचायत- .... कोटि-.............प्राथमिकता सूची क्रमांक.................. से संबंधित निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराये गये हैं- 1. भूमि क्रय करने हेतु सहायता राशि के लिए लाभुक का आवेदन 2. लाभुक के पास पूर्व से भूमि का स्वामित्व नहीं रहने संबंधित शपथ पत्र 3. जाति प्रमाण पत्र (अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग) 4. आधार कार्ड की प्रति इस सहमति (concurrence) के साथ कि आधार की सूचनाओं का उपयोग इस योजना के अधीन किया जा सकेगा । 5. आधार Seeded Bank Account की स्वअभिप्रमाणित प्रति उपर्युक्त कागजातों का अवलोकन किया । लाभुक को भूमि उपलब्ध कराने संबंधी निम्न बिन्दुओं पर जांच प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने हेतु अंचलाधिकारी को पत्र प्रेषित करें । (i) लाभुक को पूर्व में सरकार द्वारा किसी भी योजना के तहत वास भूमि उपलब्ध नहीं कराया गया है (ii) लाभार्थी के पंचायत के अंतर्गत कोई वास योग्य सरकारी भूमि वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है । (नाम एवं हस्ताक्षर) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी

दि0.....	श्री ..... पिता/पति- ..... ग्राम-.....टोला-.....ग्राम पंचायत- ..... को पूर्व से वास भूमि उपलब्ध नही रहने तथा वर्तमान में ग्राम पंचायत के अंतर्गत कोई वास योग्य सरकारी भूमि वितरण हेतु उपलब्ध नहीं रहने से संबंधित जांच प्रतिवेदन अंचल पदाधिकारी, ... से दिनांक- ..... को प्राप्त है । 2. प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण की प्राथमिकता सूची में सम्मिलित वास स्थल विहिन परिवारों को 'मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना' अंतर्गत सहायता राशि उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा निर्धारित सभी मापदंडों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए श्री .....पिता/पति- ..... ग्राम-.....टोला-.....ग्राम पंचायत-..... योग्य पाये गये । 3. अत: लाभार्थी को 60,000 (साठ हजार) रूपये सहायता राशि उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृत्यादेश निर्गत करें । 4. लेखापाल स्वीकृत्यादेश निर्गत होने के दो दिनों के अंदर मेकर के रूप में आवास सॉफ्ट पर FTO तैयार करते हुए डिजीटल सिग्नेचर के माध्यम से प्रस्तुत करें । अभिलेख दिनांक-..... को उपस्थापित करें । (नाम एवं हस्ताक्षर) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
दि0	लाभुक को स्वीकृत सहायता राशि बैंक खाता में अंतरित किया जा चुका है । लाभुक द्वारा वास भूमि क्रय करने से संबंधित प्रगति का मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु ग्रामीण आवास सहायक को निदेशित करें । अभिलेख दिनांक-..... को उपस्थापित करें । (नाम एवं हस्ताक्षर) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी

तिथि	विवरण
दि0.....	श्री ..... पिता/पति - ..... ग्राम-.....टोला-.....ग्राम पंचायत- ..... कोटि-.....के प्राथमिकता सूची क्रमांक.....द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्राथमिकता सूची में सम्मिलित वास स्थल विहिन परिवारों को 'मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना' अंतर्गत प्राप्त सहायता राशि से वास भूमि क्रय कर निबंधित दस्तावेज की प्रति उपलब्ध कराई गई हैं। 2. भविष्य में लाभार्थी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की भूमिहीन परिवारों हेतु भूमि बंदोवस्ती योजना का पुन: लाभ प्राप्त न कर सकें, इस उद्देश्य से लाभुक से प्राप्त निबंधित दस्तावेज की तीन छायाप्रति कराकर एवं सत्यापित कर एक प्रति प्रखंड के अभिलेख में संधारित किया जाय एवं दूसरी प्रति अंचलाधिकारी एवं तीसरी प्रति अनुमंडल कार्यालय को प्रेषित करें । 3. निबंधित मूल दस्तावेज लाभुक को वापस करें । (नाम एवं हस्ताक्षर) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी

(250)

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

विषय:- 'मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना' अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अतिरिक्त 'मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना' के लाभुकों एवं जल-जीवन-हरियाली अभियान के दौरान अतिक्रमण हटाने से विस्थापित वास स्थल विहीन सुयोग्य परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर वास भूमि क्रय करने हेतु पूर्व निर्धारित दर प्रति लाभुक 60,000 (साठ हजार) रूपये की सहायता राशि उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति।

दिनांक- 28.08.2018 को राज्य मंत्रिपरिषद् के निर्णयानुसार 'मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना' अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में शामिल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के वास स्थल विहीन परिवारों को वास भूमि क्रय करने हेतु 60000/- (साठ हजार) रूपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

2. दिनांक- 28.08.2018 को राज्य मंत्रिपरिषद् के निर्णयानुसार राज्य प्रायोजित 'मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना' अन्तर्गत 01 जनवरी 1996 से पूर्व गुच्छ समूहों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के परिवारों के निर्मित आवासों, जो जीर्ण-शीर्ण हैं, के पुनर्निर्माण के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

पुन: दिनांक- 14.01.2020 को राज्य मंत्रिपरिषद् के निर्णयानुसार राज्य के सभी आवास विहीन सुयोग्य परिवारों, जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में नहीं हैं, को निधि की उपलब्धता के अनुरूप तथा मुजफ्फरपुर जिला के AES से अत्यधिक प्रभावित पाँच प्रखण्डों के सभी सुयोग्य परिवारों को आवास निर्माण हेतु 'मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना' अन्तर्गत सहायता राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

इस योजना अन्तर्गत योग्य लाभुकों के चयन के क्रम में कतिपय परिवार वास स्थल विहीन के रूप में चिन्हित किये जा रहे हैं, जिन्हें आवास की स्वीकृति हेतु वास भूमि उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जल-जीवन-हरियाली अभियान के क्रम में भी अतिक्रमण हटाये जाने से तालाबों, नहरों, नदियों के किनारे बसे परिवार विस्थापित हो रहे हैं, जिन्हें पुनर्वासित किया जाना है।

3. उक्त परिप्रेक्ष्य में निम्न निर्णय लिये गये हैं:-

(क) 'मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना' अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अतिरिक्त 'मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना' अंतर्गत आवास निर्माण हेतु चयनित वास भूमि विहीन सुयोग्य परिवारों को वास भूमि क्रय करने के लिए पूर्व निर्धारित दर प्रति लाभुक 60,000 (साठ हजार) रूपये सहायता राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

(ख) जल-जीवन-हरियाली अभियान के दौरान अतिक्रमण हटाने से विस्थापित होने वाले सुयोग्य वास स्थल विहीन परिवारों को वास भूमि क्रय करने हेतु प्राथमिकता के आधार पर 'मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना' अंतर्गत पूर्व निर्धारित दर प्रति लाभुक 60,000 (साठ हजार) रूपये सहायता राशि उपलब्ध करायी जायेगी ।

2410

(ग) योजना के कार्यान्वयन के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किया जायेगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
10/6/2020
(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक 265932 पटना, बिहार 10/06/2020
ग्रा0वि0-5/MMVSKY-102-24/2020

प्रतिलिपि - ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. सहित प्रेषित। अनुरोध है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर संकल्प की 500 प्रतियां उपलब्ध करा दी जाय ।

10/6/2020
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक 265932 पटना, बिहार 10/06/2020

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

10/6/2020
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक 265932 पटना, बिहार 10/06/2020

प्रतिलिपि - राज्यपाल के प्रधान सचिव/ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/ अध्यक्ष, सह-सदस्य, राजस्व परिषद्, बिहार/ सभी विभागीय प्रधान सचिव/ सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

10/6/2020
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक 265932 पटना, बिहार 10/06/2020

प्रतिलिपि - मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

10/6/2020
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक 265932 पटना, बिहार 10/06/2020

प्रतिलिपि - श्री सुनील कुमार, आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ प्रेषित ।

10/6/2020
सरकार के प्रधान सचिव

C:\Users\DELL\Desktop\sankalp 2020 (3)\Cabinet Sankalp 2020-21 (1).doc

(218)

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 416372 पटना, दिनांक 12/03/19

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(IAY अन्य)-102-31/2016

प्रेषक,

कैवल तनुज, भा0प्र0से0,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त,
बिहार ।

विषय :- मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के लिए जिलावार लक्ष्य निर्धारण के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची के वास स्थल विहीन परिवारों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के लाभुकों को वास भूमि क्रय करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश विभागीय पत्रांक- 406013 दिनांक- 11.01.2019 द्वारा दिया गया है ।

इस क्रम में उल्लेखनीय है कि मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या- 758 दिनांक- 28.02.2019 एवं अधिसूचना संख्या- 759 दिनांक- 28.02.2019 द्वारा योजनान्तर्गत लाभुकों को 60,000/- रूपये तक की वास भूमि क्रय करने हेतु 50 रूपये स्टाम्प ड्यूटी एवं 50 रूपये निबंधन शुल्क निर्धारित किया गया है । एतद् संबंधी अधिसूचना की प्रति संलग्न है ।

जिलों से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची के कोटिवार वास भूमि विहीन लाभुकों की प्राप्त संख्या के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए जिलावार निर्धारित लक्ष्य संलग्न है ।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त के आलोक में जिलावार निर्धारित लक्ष्य के अनुसार लाभुकों के लिए वास भूमि क्रय करने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(कैवल तनुज)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 416372 पटना, दिनांक 12/03/19

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में शामिल		
वास स्थल विहीन परिवारों को मुख्यमंत्री वासस्थल क्रय सहायता योजना अंतर्गत वासस्थल भूमि क्रय हेतु लक्ष्य		
क्र0 सं0	जिला का नाम	वासस्थल भूमि क्रय हेतु लक्ष्य
1	2	3
1	ARARIA	627
2	ARWAL	9
3	AURANAGABAD	342
4	BANKA	403
5	BEGUSARAI	1815
6	KAIMUR	155
7	BHAGALPUR	678
8	BHOJPUR	177
9	BUXAR	165
10	DARBHANGA	126
11	PURBI CHAMPARAN	190
12	PASHCHIM CHAMPARAN	2366
13	GAYA	493
14	GOPALGANJ	233
15	JAMUI	49
16	JEHANABAD	24
17	KATIHAR	1039
18	KHAGARIA	670
19	KISHANGANJ	24
20	LAKHISARAI	112
21	MADHEPURA	227
22	MADHUBANI	728
23	MUNGER	176
24	MUZAFFARPUR	985
25	NALANDA	98
26	NAWADA	153
27	PATNA	954
28	PURNIA	1506
29	ROHTAS	250
30	SAHARSA	50
31	SAMASTIPUR	940
32	SARAN	256
33	Sheikhpura	22
34	SHEOHAR	103
35	SITAMARHI	2509
36	SIWAN	59
37	SUPAUL	970
38	VAISHALI	317
कुल :-		20000

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 फाल्गुन 1940 (श0)

(सं0 पटना 335) पटना, बुधवार, 6 मार्च 2019

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

अधिसूचना
28 फरवरी 2019

सं0 IV/एम[1]–1–22/2018–759—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल "मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना" के अधीन न्यूनतम मूल्यांकन पंजी (MVR) के अनुसार, रू. 60,000/– (साठ हजार रूपये) तक का आवासीय भू–खंड क्रय से संबंधी दस्तावेज पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में रू. 50/– (पचास रूपए) मात्र अवधारित करते हैं।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में शामिल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग में से जिन सदस्यों के लिए उक्त योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जानी है, उन्हें दस्तावेजों के निबंधन में छूट प्रदान करने संबंधी प्राधिकार–पत्र समाहर्त्ता या समाहर्त्ता द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के स्तर से संबंधित निबंधन पदाधिकारी को निर्गत किया जायेगा।

3. उक्त योजना के अंतर्गत लाभुकों से प्राधिकार पत्र निर्गत करने के पूर्व एक शपथ–पत्र प्राप्त किया जाएगा कि उनके द्वारा "मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना"का लाभ पूर्व में नहीं लिया गया है।

4. यह अधिसूचना के निर्गमन की तिथि से प्रवृत होगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

28 फरवरी 2019

संo IV/एम1–1–22/2018–759—उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

The 28th February 2019

No.- IV/M[1]-1-22/2018-759— In exercise of the powers conferred by Section-78 of the Registration Act, 1908 the Governor of Bihar is pleased to determine Rs. 50/- (Rupees fifty) only as the registration fee payable on the document related to purchase of residential plot of land amount upto Rs. 60,000 (Rupees Sixty thousands) according to MVR under the "MUKHYAMANTRI VAS STHAL KRAY SAHYATA YOJNA".

2. People of SC, ST & EBC community mentioned in the waiting list of "PRADHAN MANTRI AWAS YOJNA-GRAMIN", who will get help under the said scheme shall be issued an authority letter for exemption in the registration of the document by the Collector or Officer authorized by the Collector to the related registrar.

3. Before issuing authority letter to the beneficial under the said scheme, an affidavit shall be obtained that they have not obtained benefit, earlier, of the "MUKHYAMANTRI VAS STHAL KRAY SAHYATA YOJNA".

4. It will come into force from the date of issuance of the notification.

By the Order of the Governor of Bihar,
Amir Subhani,
Add. Chief Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 335-571+500 डीoटीoपीo।
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 फाल्गुन 1940 (श0)

(सं0 पटना 334) पटना, बुधवार, 6 मार्च 2019

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

अधिसूचना
28 फरवरी 2019

सं0 IV/एम[1]–1–22/2018–758—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 9 की उप–धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल "मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना" के अधीन न्यूनतम मूल्यांकन पंजी (MVR) के अनुसार, रू. 60,000/– (साठ हजार रूपये) तक का आवासीय भू–खंड क्रय से संबंधी दस्तावेज पर प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी के रूप में रू. 50/– (पचास रूपए) मात्र अवधारित करते हैं।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में शामिल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग में से जिन सदस्यों के लिए उक्त योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जानी है, उन्हें दस्तावेजों के निबंधन में छूट प्रदान करने संबंधी प्राधिकार–पत्र समाहर्त्ता या समाहर्त्ता द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के स्तर से संबंधित निबंधन पदाधिकारी को निर्गत किया जायेगा।

3. उक्त योजना के अंतर्गत लाभुकों से प्राधिकार पत्र निर्गत करने के पूर्व एक शपथ–पत्र प्राप्त किया जाएगा कि उनके द्वारा "मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना"का लाभ पूर्व में नहीं लिया गया है।

4. यह अधिसूचना के निर्गमन की तिथि से प्रवृत होगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

28 फरवरी 2019

सं0 IV/एम1–1–22/2018–758—उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

The 28th February 2019

No.- IV/M[1]-1-22/2018-758—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act 1899 the Governor of Bihar is pleased to determine Rs. 50/- (Rupees fifty) only as the stamp duty payable on the document related to purchase of residential plot of land of amount upto Rs. 60,000 (Rupees Sixty thousands) according to MVR under the "MUKHYAMANTRI VAS STHAL KRAY SAHAYATA YOJNA".

2. People of SC, ST & EBC community mentioned in the waiting list of "PRADHAN MANTRI AWAS YOJNA-GRAMIN", who will get help under the said scheme shall be issued an authority letter for exemption in the registration of the document by the Collector or Officer authorized by the Collector to the related registrar.

3. Before issuing authority letter to the beneficial under the said scheme, an affidavit shall be obtained that they have not obtained benefit, earlier, of the "MUKHYAMANTRI VAS STHAL KRAY SAHAYATA YOJNA".

4. It will come into force from the date of issuance of the notification.

By the Order of the Governor of Bihar,
Amir Subhani,
Add. Chief Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 334-571+500 डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in